



2026:AHC: 5298

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 8060 सन् 2025

बिट्टू कुमार

....याचिककर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: मनि याग्येश त्रिपाठी

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री मनि याग्येश त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता को आवेदक की ओर से तथा श्री अरिमर्दन यादव, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (अ.शा.अ.) को राज्य-प्रतिवादियों की ओर से सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत यह ज़मानत आवेदन आवेदक बिट्टू कुमार की ओर से विचारण की लम्बितता के दौरान स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/22 के अन्तर्गत थाना इन्दिरापुरम, जिला गाजियाबाद में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1121 सन् 2022 में जमानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे किसी अन्य उद्देश्य से इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है, जिसमें आवेदक के कब्जे से अल्प्राजोलाम पाउडर 120 ग्राम, जो वाणिज्यिक मात्रा से थोड़ा अधिक है बरामद किया जाना कथित है। प्रकरण में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक का स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक 01.09.2022

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से कारागार में है। जमानत पर रिहाई की स्थिति में न्याय के मार्ग से भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अ. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, पर उपरोक्त कथित तथ्यों पर वितर्क नहीं कर सके।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता एवं सहायक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षी के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आवेदक **बिट्टू कुमार** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका एवं दो विश्वसनीय जमानतदारों, जो समान राशि के होंगे, प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डर नहीं डालेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक संबंधित न्यायालय अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दे।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

08 जनवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।